राजस्थान सरकार
सामान्य प्रशासन (ग्रुप-3) विभाग

परिपत्र

क्रमांक: प.6(9)सा.प्र./3/79 पार्ट-I जयपुर, दिनांक 21.1.92

समस्त सम्भागीय आयुक्त/
विभागाध्यक्ष/जिला कलेक्टर

विषय:- सरकारी विभागों में उपयोग आने वाली वस्तुएं तथा कपड़ा क्रय किए जाने बाबत ।

राजस्थान राज्य में राजकीय विभागों, स्थानीय निकायों, निगमों, राज्य विद्युत एवं अन्य मण्डलों, पंचायत समितियों में कपड़े की खरीद के संबंध में राज्य सरकार द्वारा आदेश क्रमांक प.4(2)सा.प्र./3/74 दिनांक 21-7-83 के तहत निर्देश प्रसारित किए गए थे । जिसके अन्तर्गत सब प्रकार की ऊनी वर्दी का कपड़ा, ऊनी वर्दियां, कम्बल, ट्रेपस्ट्री, पर्दा क्लाथ, राष्ट्रीय ध्वज आदि राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड अथवा खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा प्रमाणित खादी क्षेत्र के वस्त्र, तथा सब प्रकार के सूती साफे का कपड़ा, सब प्रकार की बैडशीट, पिलोकवर, बैंडेज तथा जाली (गाज) का कपड़ा राजस्थान हाथ कर्घा परियोजना मण्डल तथा राजस्थान राज्य बुनकर सहकारी संघ द्वारा प्रमाणित हाथ कर्घा ~~परियोजना/मण्डल~~ क्षेत्र के वस्त्र एवं इसी प्रकार सब प्रकार के डस्टर तौलिए राजस्थान नेत्रहीन कल्याण संघ, जयपुर से क्रय किए जाने हैं ।

इस विभाग को ऐसा ज्ञात हुआ है कि स्पष्ट निर्देशों के पश्चात् भी कई विभागों द्वारा गर्म वर्दी का कपड़ा एवं अन्य वस्तुएं उक्त आदेश दिनांक 21-7-83 में उल्लेखित विवरण के अनुसार क्रय नहीं की जाकर अन्य संस्थाओं तथा राजस्थान राज्य बुनकर सहकारी संघ से गर्म वर्दी का कपड़ा आदि क्रय करने की कार्यवाही की जा रही है ।

अत: पुन: स्पष्ट कराया जाता है कि सरकारी विभागों में उपयोग आने वाली वस्तुएं तथा गर्म वर्दी का कपड़ा आदि उक्त आदेश 21-7-83 के अनुसार ही क्रय किया जाये । पुन: स्पष्ट कराए जाने के पश्चात् भी अब अगर शासन के निर्देशों की अवहेलना की जाती है उस स्थिति में समस्त उत्तरदायित्व संबंधित विभागाध्यक्ष/नियुक्ति अधिकारी का होगा । सुविधा हेतु पूर्व संबंधित आदेश प.4(2)सा.प्र./3/74 दिनांक 31-12-1977, प.6(9)सा.प्र./3/79 दिनांक 24-2-81, प. 4(2)सा.प्र./3/74 दिनांक 21-7-83, संशोधन-पत्र क्रमांक प. 4(2)सा.प्र./3/74 दिनांक 10-2-84, आज्ञा क्रमांक प.4(2)सा.प्र./3/74 दिनांक 26-5-84, आदेश क्रमांक प.6(9)सा.प्र./3/79 दिनांक 10-10-85 की प्रतियां संलग्न है ।

कृपया इसकी प्राप्ति सूचना भिजवायें ।

(राम लुभाया)
विशिष्ट शासन सचिव

संलग्न:- उपरोक्तानुसार (छ:)

कृ0पृ0उ0